न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R. 3282-II/12

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

1– मनका पुत्र उमराव काछी
2– लछुआ कुशवाह पुत्र उमराव काछी
3– शांतीबाई बेवा भागीरथ

निवासीगण– ईशा नगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

ओमप्रकाश मिश्रा पुत्र हरचरण मिश्रा, निवासी– ईशा नगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार, ईशा नगर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ–3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, विवादित भूमि ग्राम ईशा नगर पटवारी हल्का नं. 29 में स्थित है, जिसके भूमि स्वामी हरकिशन एवं उमराव आवेदकगण के पिता थे। इन दोनों के मध्य विवादित भूमि का किसी तरह का कोई भी बटवारा नहीं हुआ था, बल्कि अपने कब्जे के अनुसार भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे थे।

2– यहकि, अनावेदक को भूमि स्वामी हरकिशन द्वारा भूमि का विक्रय दिनांक 27.10.1998 को क्रेता अजय कुमार पुत्र अमृतलाल अग्रवाल, ओमप्रकाश पुत्र हरचरण, संतोष कुमार पुत्र नाथूराम के हित में किया गया था। उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र में सीमायें नहीं खोली गई थी, क्योंकि विक्रय–पत्र दिनांक को भूमि की सीमायें निर्धारित नहीं थी। इसके बावजूद अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन–पत्र सीमांकन बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ईशा नगर में स्थित भूमि खसरा नं. 2295/1,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र० क्रमांक–निगरानी–3282–दो/2012 जिला–छतरपुर

मनका आदि विरूद्ध ओमप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार ईशानगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–09–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19	